

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-59/2017/591/37-1-2017-3(41)/2015टी0सी0
लखनऊ: दिनांक: 13 सितम्बर, 2017

कार्यालय-आदेश

डा० राकेश कुमार गुप्ता सेवा निवृत्त उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी के विरुद्ध जनपद हमीरपुर में बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत बकरियों/बकरों की खरीद तथा काम धेनु /मीनी कामधेनु योजना में की गयी अनियमितता तथा अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों के प्रति बरती गयी उदासीनता एवं लापरवाही आदि आरोपों के दृष्टिगत शासन के कार्यालय आदेश संख्या-3821/37-1-2015-4(41)/2015 दिनांक 18 सितम्बर, 2015 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। संस्थित कार्यवाही के संचालन हेतु डा० अनिमेष पाल सिंह, अपर निदेशक ग्रेड-2 बी०पी० संस्थान को जॉच अधिकारी नामित किया गया। जॉच अधिकारी द्वारा जॉच आख्या में आरोप-1 सिद्ध पाये गये आरोप के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या-344/37-1-2016-3(41)/2015टी0सी0 दिनांक 7 मार्च, 2017 द्वारा डा० गुप्ता का अभ्यावेदन प्राप्त किया गया जो उनके पत्र दिनांक 11.04.2017 द्वारा प्राप्त हुआ।

जॉच अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या, डा० राकेश कुमार गुप्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन एवं अन्य संगत अभिलेखों पर सम्यक विचारोपरांत एतदद्वारा आरोप सिद्ध न होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल डा० राकेश कुमार गुप्ता, से०नि० उप मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, हमीरपुर के विरुद्ध संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को बिना दण्ड के समाप्त किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

डा० सुधीर एम० बोबडे
प्रमुख सचिव।

संख्या-59/2017/608(1)/37-1-2017, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, ड०प्र० लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग ड०प्र० लखनऊ।
- 3- संबंधित अधिकारी, द्वारा निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन वि
- 4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव